दूरभाषः26175176
फैक्सः 26162093

संख्या-15/2/2016/उ.नि.(परीक्षा)/ 3111

भारत सरकार
गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग
हिंदी शिक्षण योजना
उप निदेशक (परीक्षा) का कार्यालय

पूर्वी खंड-7, तल-6, रामकृष्णपुरम,
नई दिल्ली-110066
दिनांकः 13-7-2016

सेवा में,

निदेशक/संयुक्त निदेशक/सभी उप निदेशक/सर्वकार्यभारी अधिकारी,
हिंदी शिक्षण योजना/पत्राचार पाठ्यक्रम स्कंध, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान/
केंद्रीय हिंदी निदेशालय, सभी नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के अध्यक्ष।

विषयः-**हिंदी प्रबोध/प्रवीण/प्राज्ञ/पारंगत परीक्षाएँ नवंबर, 2016 का आयोजन एवं कार्यक्रम का विवरण।**

महोदय/महोदया,

राजभाषा विभाग के अंतर्गत आयोजित होने वाली हिंदी प्रबोध/प्रवीण/प्राज्ञ/प्राज्ञ बैंकिंग तथा पारंगत पाठ्यक्रमों की परीक्षाएँ विभाग के परीक्षा स्कंध द्वारा प्रति वर्ष मई तथा नवंबर माह में आयोजित की जाती हैं। इन परीक्षाओं के आयोजन के लिए अखिल भारतीय स्तर पर परीक्षा केंद्र स्थापित किए जाते हैं। प्रत्येक सत्र में इन परीक्षाओं में भाग लेने वाले नियमित/प्राइवेट/पत्राचार के परीक्षार्थियों के परीक्षा परिणाम परीक्षा समाप्त होने के एक माह के अंदर घोषित किए जाते हैं। नवंबर, 2016 में आयोजित होने वाली परीक्षा के लिए कार्यक्रम निम्न प्रकार हैः-

2. <u>आवेदन-पत्र निम्नलिखित कार्यालयों से प्राप्त किए जा सकते हैं तथा वहीं जमा कराए जा सकते हैंः-</u>

(1) उप निदेशक (मध्योत्तर) हिंदी शिक्षण योजना, पूर्वी खंड-7, तल-6, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली-110066	दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, उत्तरप्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तरांचल तथा चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश में स्थित कार्यालयों के लिए।
(2) उप निदेशक (दक्षिण) हिंदी शिक्षण योजना, ई-3, सी ब्लॉक, राजाजी भवन, बेसन्ट नगर, चेन्नै-600090	तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल तथा पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश में स्थित कार्यालयों के लिए।
(3) उप निदेशक (पूर्व) हिंदी शिक्षण योजना, 18वां तल, निजाम पैलेस परिसर, 234/4, आचार्य जगदीश चंद्र बोस रोड, कोलकाता-700020	पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, अंडमान-निकोबार केंद्र शासित प्रदेश में स्थित कार्यालयों के लिए।

(4) उप निदेशक (पश्चिम) हिंदी शिक्षण योजना, केंद्रीय सदन, सी. विंग, छठा माला, सी.बी.डी., बेलापुर, नवीं मुंबई-400614	महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, गोवा, दमन दीव, दादरा, नगर हवेली केंद्र शासित प्रदेश में स्थित कार्यालयों के लिए।
(5) उप निदेशक (पूर्वोत्तर) हिंदी शिक्षण योजना, पू.सी.रेलवे मुख्यालय, मालीगांव, गुवाहाटी-II (असम)	असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम तथा त्रिपुरा राज्यों में स्थित कार्यालयों के लिए।
(6) प्रभारी सहायक निदेशक (पत्राचार पाठ्यक्रम) केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, 2-ए, पृथ्वीराज रोड, नई दिल्ली-110011	केवल मई की परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए।
(7) उप निदेशक (पत्राचार पाठ्यक्रम) केंद्रीय हिंदी निदेशालय, (मानव संसाधन विकास मंत्रालय) पश्चिमी खंड-7, आर.के.पुरम, नई दिल्ली-110066	केवल नवंबर की परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए।

3. उपर्युक्त कार्यालयों के अतिरिक्त बेंगलुरु, हैदराबाद, जबलपुर, विशाखापट्टणम, पुणे, कोचीन, पटना, कानपुर नगरों में स्थित हिंदी शिक्षण योजना के कार्यालयों से भी आवेदन-पत्र प्राप्त किए जा सकते हैं और वहीं जमा किए जा सकते हैं।

4. सभी नियमित परीक्षार्थियों के भरे हुए परीक्षा फार्म हिंदी प्राध्यापकों द्वारा सर्वकार्य प्रभारी अधिकारियों/सहायक निदेशकों के माध्यम से क्षेत्रीय उप निदेशकों के कार्यालयों को भेजे जाएँगे। उप निदेशक (परीक्षा) के कार्यालय में परीक्षा फार्म केवल क्षेत्रीय उप निदेशकों के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएँगे। क्षेत्रीय उप निदेशकों से यह अनुरोध है कि वे अपने क्षेत्र के सभी परीक्षा फार्म नामिनल रोल (दो प्रतियों में) के साथ तारीख 9-9-2016 तक परीक्षा स्कंध को स्पीड पोस्ट से भिजवाने की व्यवस्था करें।

5. पत्राचार पाठ्यक्रम के परीक्षा फार्म अपने प्रायोजक अधिकारी के माध्यम से पत्राचार पाठ्यक्रम स्कंध, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान/केंद्रीय हिंदी निदेशालय को प्रेषित करें ताकि वहां प्राप्त आवेदन पत्र दिनांक 9 सितंबर, 2016 तक परीक्षा स्कंध को भेजे जा सकें। **पत्राचार पाठ्यक्रम के परीक्षार्थियों के जो आवदेन-पत्र परीक्षा स्कंध में सीधे प्राप्त होंगे, उन्हें परीक्षा स्कंध द्वारा स्वीकर नहीं किया जाएगा।**

6 परीक्षा स्कंध में फार्म केवल निर्धारित माध्यमों से ही प्राप्त किए जाएँगे। यदि कोई फार्म परीक्षा स्कंध में सीधे भेजा जाता है तो उस पर विचार नहीं किया जाएगा। अतः परीक्षा स्कंध को कोई भी आवेदन पत्र सीधे न भेजें और निर्धारित अवधि के अंदर संबंधित क्षेत्रीय उप निदेशकों को प्रेषित करें।

7 आवेदन-पत्र अग्रेषित करने वाले अधिकारियों के लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि **परीक्षा फार्मों के साथ नॉमिनल रोल की दो प्रतियां तथा प्रबोध, प्रवीण व प्राज्ञ (पारंगत परीक्षा के लिए परीक्षा शुल्क देय नहीं है) परीक्षाओं के लिए रुपये 100/- का बैंक ड्राफ्ट (केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को छोड़कर) (यदि भुगतान ऑनलाइन न किया गया हो) अवश्य संलग्न करें।**

8 सभी प्रशिक्षार्थियों का एक ही **बैंक ड्राफ्ट उप निदेशक (परीक्षा), हिंदी शिक्षण योजना, नई दिल्ली के नाम भी बनवाया जा सकता है।**

9 **परीक्षा शुल्क भारतीय स्टेट बैंक की website www.onlinesbi.com पर निम्नलिखित स्टैप्स अपनाते हुए ऑनलाइन भी जमा करवाया जा सकता है । ऑनलाइन द्वारा भुगतान की गई राशि की पावती रसीद की फोटोप्रति उप निदेशक(परीक्षा), हिंदी शिक्षण योजना, नई दिल्ली कार्यालय में भेजना अनिवार्य है ।**

प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ, टंकण एवं आशुलिपि परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन फीस जमा करने के स्टैप्स

1.सबसे पहले State Bank of India की **website www.onlinesbi.com** में **State Bank Collect** नामक उपशीर्षक पर जाएँ।

या

State Bank of India की **website www.onlinesbi.com** पर मुख्य शीर्षक State Bank of India पर क्लिक करने पर **State Bank Collect** नामक उपशीर्षक पर क्लिक करें एवं सभी शर्तों को स्वीकार करते हुए **Proceed** करें।

↓

2. **State Bank Collect** पेज पर **State of Corporate/Institution** में **All India** Select करें तत्पश्चात् **Type of Corporate/Institution** में **Govt. Department** Select करें एवं **GO** को **क्लिक** करें ।

↓

3. Govt.Department Name में **HINDI TEACHING SCHEME, DEPT.OF OFFICIAL LANGUAGE MHA** को SUBMIT करें ।

↓

4. Select Payment Category में Hindi Teaching Scheme Select करें । Select करते ही एक फार्म खुल जाएगा ।

↓

5. इस फार्म को भरने के पश्चात Submit करें । Submit करने के बाद अपने भरे हुए विवरण को Confirm कर Payment करें ।

↓

6. Payment करने के बाद Receipt के प्रिंट की फोटोप्रति उप निदेशक (परीक्षा) का कार्यालय, हिंदी शिक्षण योजना, पूर्वी खंड-7, तल-6, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली-110066 को भेजें।

10.(क).आवेदन-पत्र पर परीक्षार्थी का नाम, पिता/पति का नाम तथा अन्य विवरण हिंदी तथा अंग्रेजी में द्विभाषी रूप से साफ-साफ लिखे गए हों। परीक्षा स्कंध में परीक्षार्थी के संबंध में जानकारी का एकमात्र साधन परीक्षा फार्म ही होता है। प्रबोध, प्रवीण तथा प्राज्ञ की जिस परीक्षा में जिस माध्यम से (नियमित, प्राइवेट, पत्राचार, ऑन-लाइन, लीला) परीक्षार्थी सम्मिलित होना चाहता है, उसका उल्लेख अवश्य किया जाए। अपूर्ण आवेदन-पत्र स्वतः रद्द हो जाएंगे।

(ख) प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ, प्राज्ञ बैंकिंग तथा पारंगत परीक्षा के नॉमिनल रोल अलग-अलग बनवाएं।

(ग) नियमित परीक्षार्थियों, प्राइवेट परीक्षार्थियों और पत्राचार पाठ्यक्रम के परीक्षार्थियों के नॉमिनल रोल अलग-अलग तैयार करें।

(घ) आवेदन-पत्र भेजते समय/भरवाते समय यह सुनिश्चित करें कि परीक्षार्थी का नाम व पूरा पता, परीक्षा का नाम एवं मांगा गया परीक्षा केंद्र आवेदन-पत्र तथा प्रवेश-पत्र, दोनों पर एक समान भरे गए हैं।

(ङ) एक परीक्षार्थी एक परीक्षा सत्र में केवल एक ही परीक्षा में सम्मिलित हो सकेगा। यदि वह परीक्षार्थी एक सत्र में एक से अधिक परीक्षाओं के लिए आवेदन-पत्र भरता है तथा परीक्षाओं में सम्मिलित होना चाहता है तो उसकी एक ही परीक्षा को मान्यता दी जाएगी तथा दूसरी परीक्षा को रद्द माना जाएगा।

(च) **परीक्षा फार्म भरते समय इस बात का उल्लेख अवश्य किया जाए कि क्या परीक्षार्थी ने प्रशिक्षण के दौरान वेबसाइट पर उपलब्ध लीला प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ साफ्टवेयरों की सहायता ली है अथवा नहीं।**

(छ) हिंदी शिक्षण योजना की ऑन-लाइन परीक्षाएं भी आयोजित की जा रही हैं। हिंदी शिक्षण योजना की ऑन-लाइन परीक्षाओं के परीक्षा फार्म भेजते समय उन पर स्पष्ट उल्लेख करें कि ये परीक्षार्थी ऑन-लाइन परीक्षा देंगे तथा ऑन-लाइन परीक्षा देने वाले परीक्षार्थियों के (परीक्षा फार्म) आवेदन-पत्र परीक्षा स्कंध को अलग से भिजवाएं। उन्हें सामान्य परीक्षा देने वाले परीक्षार्थियों के परीक्षा फार्म के साथ शामिल (मिक्स) कदापि न करें।

...5/-

11. नियमानुसार परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए प्रत्येक प्रश्न पत्र में न्यूनतम 35 अंक अथवा उससे अधिक होने चाहिए । किंतु किसी एक प्रश्न पत्र में 35 से कम अंक अर्जित करने वाले परीक्षार्थियों को पूरक घोषित किया जाएगा । इसके अतिरिक्त उत्तीर्ण होने के लिए आंतरिक / मौखिक परीक्षा में भी 35 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है हिंदी प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ, प्राज्ञ बैंकिंग एवं पारंगत परीक्षाओं में उन्हीं परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण किया जाएगा जो तीनों प्रश्न-पत्रों में 35-35 अंक अथवा इससे अधिक अंक प्राप्त करेंगे । जिन परीक्षार्थियों ने किसी एक प्रश्न-पत्र में 35 से कम अंक प्राप्त किए हैं उन्हें परीक्षा में पूरक घोषित किया जाएगा ।

हिंदी प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ, प्राज्ञ बैंकिंग एवं पारंगत परीक्षा के किसी एक प्रश्न-पत्र में अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी को अन्य परीक्षार्थियों की तरह आगामी नवंबर, 2016 के लिए आवेदन भरना होगा तथा उन्हें अपने आवेदन-पत्र पर अपना पुराना अनुक्रमांक (मई, 2016 में हुई परीक्षा में दिया गया अनुक्रमांक) देना होगा । अनुक्रमांक के साथ यह भी उल्लेख करना होगा कि परीक्षार्थी किस प्रश्न-पत्र में पूरक घोषित किया गया । (पूरक I, II अथवा III)

पूरक परीक्षा		
I	II	III

पूरक परीक्षा देने वाले परीक्षार्थियों के आवेदन-पत्र पर पुराने अनुक्रमांक के साथ यह भी उल्लेख करना होगा कि उक्त परीक्षार्थी अनुक्रमांक-------- मई, 2016 का परीक्षार्थी है । इन परीक्षार्थियों के आवेदन पत्र तथा नामिनल रोल इस कार्यालय को अलग से भिजवाने का कष्ट करें उन्हें अन्य आवेदन पत्रों के साथ मिक्स कदापि न करें । मई, 2016 की परीक्षा में पूरक घोषित हुए जो परीक्षार्थी नवंबर, 2016 की पूरक परीक्षा में सम्मिलित नहीं होंगे, उन्हें बाद में प्राइवेट परीक्षार्थी के रूप में तीनों प्रश्न-पत्रों की परीक्षा देनी होगी ।

पूरक परीक्षा में सम्मिलित होने वाले स्वत: संगठनों, निगमों, निकायों, बैंकों आदि के परीक्षार्थियों को परीक्षा शुल्क के रूप में 10 रुपए का बैंक ड्राफ्ट "उप निदेशक (परीक्षा), हिंदी शिक्षण योजना, नई दिल्ली" के पक्ष में भेजना होगा ।

12. हिंदी भाषा के 5 दिवसीय कक्षा में पढ़ाई के अल्पावधि प्रशिक्षण कार्यक्रम (Validation Course) के प्रशिक्षार्थियों के आवेदन-पत्रों को चिह्नित करके उन्हें अलग से उप निदेशक (परीक्षा) के कार्यालय में भिजवाने की व्यवस्था करें। इसके साथ ही उक्त प्रशिक्षार्थियों के नॉमिनल रोल को भी अन्य नॉमिनल रोल से मिक्स न करें बल्कि उन्हें अलग से चिह्नित करके उप निदेशक (परीक्षा) के कार्यालय में भिजवाएँ।

13. जिस केंद्र पर परीक्षा देनी है, आवेदन-पत्र में इसका स्पष्ट उल्लेख अवश्य करें। इससे परीक्षा केंद्र बनाने में इस कार्यालय को सुविधा होगी। परंतु अपरिहार्य कारणों से यदि वांछित परीक्षा केंद्र का आबंटन न किया जा सका हो तो परीक्षा स्कंध द्वारा आबंटित परीक्षा केंद्र अंतिम होगा और वहीं उन्हें परीक्षा देनी होगी। दिनांक 21.10.2016 तक परीक्षा केंद्र परिवर्तन संबंधी पत्र स्वीकार किए जाएंगे और केवल उन्हीं मामलों पर विचार किया जाएगा जो परीक्षार्थी के स्थानांतरण अथवा अन्य कारण से उसके कार्यालय द्वारा अग्रेषित किए गए होंगे।

14. **परीक्षा की तिथियां** - प्रवीण, प्राज्ञ, प्राज्ञ बैंकिंग, पारंगत तथा प्रबोध की लिखित परीक्षाएं क्रमशः 6, 13, 20 तथा 27.11.2016 और मौखिक परीक्षाएं 7, 15, 21 तथा 28.11.2016 को देशभर के सभी केंद्रों पर आयोजित की जाएंगी। **सुविधानुसार मौखिक परीक्षा, परीक्षा तिथियों में भी ली जा सकती है।**

15. परीक्षार्थियों को आबंटित केंद्रों का विवरण तथा प्रवेश-पत्र परीक्षा के दो सप्ताह पूर्व संबंधित हिंदी प्राध्यापकों/कार्यालय प्रमुखों से उपलब्ध होगा। यदि किसी परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र तारीख 01.11.2016 तक प्राप्त नहीं होता है तो वह अपने कार्यालय प्रमुख/हिंदी प्राध्यापक के माध्यम से संबंधित क्षेत्रीय उप निदेशक से संपर्क स्थापित करें।

नवंबर, 2016 परीक्षाओं की समय-सारणी

परीक्षा	प्रश्न-पत्र	दिन	दिनांक	समय
प्रवीण	प्रथम	रविवार	6.11.2016	10.00 से 1.00 बजे तक
प्रवीण	द्वितीय	रविवार	6.11.2016	2.00 से 5.00 बजे तक
प्रवीण	मौखिक	सोमवार	7.11.2016	10.00 से 5.00 बजे तक
प्राज्ञ	प्रथम	रविवार	13.11.2016	10.00 से 1.00 बजे तक
प्राज्ञ	द्वितीय	रविवार	13.11.2016	2.00 से 5.00 बजे तक
प्राज्ञ	मौखिक	मंगलवार	15.11.2016	10.00 से 5.00 बजे तक
पारंगत	प्रथम	रविवार	20.11.2016	10.00 से 1.00 बजे तक
पारंगत	द्वितीय	रविवार	20.11.2016	2.00 से 5.00 बजे तक
प्रबोध	प्रथम	रविवार	27.11.2016	10.00 से 1.00 बजे तक
प्रबोध	द्वितीय	रविवार	27.11.2016	2.00 से 5.00 बजे तक
प्रबोध	मौखिक	सोमवार	28.11.2016	10.00 से 5.00 बजे तक

नोटः- सुविधानुसार मौखिक परीक्षा, परीक्षा तिथियों में भी ली जा सकती हैं ।

16. महानगरों को छोड़कर परीक्षा केंद्र केवल उन स्थानों पर ही स्थापित किए जाएंगे **जहाँ एक ही परीक्षा के लिए कम से कम 10 तथा तीनों परीक्षाओं के लिए कम से कम 30 परीक्षार्थी उपलब्ध होंगे।** 10 से कम परीक्षार्थी होने पर कार्यालय की मांग के अनुसार परीक्षा केंद्र तो बनाया जा सकता है किंतु इसके लिए केंद्र अधीक्षक को किसी भी प्रकार का पारिश्रमिक/अन्य कोई राशि नहीं दी जाएगी ।

17. अनुरोध है कि परीक्षा के लिए केंद्र अधीक्षक का नाम व पता निर्धारित प्रपत्र/प्रोफार्मा में दिनांक 9.9.2016 तक अवश्य भिजवाने का कष्ट करें, जिससे परीक्षाओं के प्रश्न-पत्र, केंद्र अधीक्षक के नियुक्ति पत्र, परीक्षा सामग्री तथा फुटकर खर्च के लिए अग्रिम राशि भेजी जा सके। कृपया परीक्षाओं के संचालन के लिए अग्रिम राशि भेजने हेतु परीक्षा अग्रिम मांग-पत्र (जहां पर परीक्षा भवन किराए पर लेने की आवश्यकता है, वहां पर परीक्षा भवन का किराया भी शामिल है), दिनांक ~~10.03~~.2016 तक इस कार्यालय को अवश्य भेज दें।
15-09-

परीक्षा केंद्र अधीक्षक का नाम व पूरा पता, पिन कोड, टेलीफोन नंबर सहित	परीक्षार्थियों की संख्या	परीक्षा केंद्र का पूरा पता पिन कोड सहित	भारतीय स्टेट बैंक, अन्य किसी बैंक का नाम तथा कोड संख्या एवं बैंक की शाखा का नाम
	प्रवीण .... प्राज्ञ .... प्राज्ञ बैंकिंग .... पारंगत .... प्रबोध		

कृपया परीक्षा केंद्र अधीक्षक का नाम भेजते समय यह सुनिश्चित करें कि **केंद्र अधीक्षक राजपत्रित अधिकारी हों, उसी शहर में कार्यरत हों** तथा परीक्षा के दिनों में उनके स्थानांतरण/अवकाश पर जाने की संभावना न हो। उपक्रमों/निगमों के अधिकारियों को भी परीक्षा केंद्र अधीक्षक बनाया जा सकता है।

भवदीया,

13/7/2016

(सुमन लाल)

उप निदेशक (परीक्षा)

कोड - chti1102